सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:– 260 / प्रा0पत्र / 2024 दायरा दिनांक :–21.11.2024

1. मुकेश आ0 रामदेव जाति रेगर निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थी

बनाम

1. प्रभू आ0 रोडू जाति रेगर निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री भंवरलाल गुर्जर
वकील अप्रार्थी :– श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर

निर्णय दिनांक :– 18 / 09 / 2025

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 20 खसरा संख्या 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 399 कुल किता 19 कुल रकबा 3. 9091 हैक्टेयर वाके ग्राम खेरखटा में विस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता रामदेव का 1 / 18 हिस्सा निहित है। भूमि खाता संख्या 70 खसरा संख्या 183 रकबा 2.0153 हैक्टेयर वाके ग्राम मरड्या पटवार मण्डल खेरखटा में विस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता रामदेव का हिस्सा 1 / 6 हिस्सा है। भूमि खाता संख्या 35 खसरा संख्या 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 कुल किता 9 कुल रकबा 2.2582 हैक्टेयर वाके ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल खेरखटा में विस्थित है, उक्त भूमि में प्रार्थी के पिता का हिस्सा 1 / 6 निहित है। प्रार्थी के पिा एवं अप्रार्थी प्रभूलाल के पिता का असली नाम रोडू है, प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी प्रभूलाल सगे भाई है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि की जमाबदी में प्रार्थी के पिता रामदेव एवं अप्रार्थी प्रभूलाल के पिता का नाम रोड ही दर्ज हो रहा है, जबकि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रोडया तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि राजस्व रिकॉड्र में रोडू के स्थान पर मोडू दर्ज हो रहा है, रोडू एवं रोड्या एक ही नाम है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमि में रोडू के स्थान पर राजस्व कर्मियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

के द्वारा सहवनवश गलती से रोडू नाम दर्ज नहीं करके मोडू दर्ज कर दिया है, इस प्रकार उक्त प्रविष्टि गलत दर्ज हो रही है। प्रार्थी के पिता श्री रामदेव की काफी अरसे पहले मृत्यु हो गई है। मृतक खातेदार के स्थान पर विरासत में नामान्तकरण दर्ज किया जाना है, परन्तु प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में प्रार्थी के पिता का वल्दियत नाम गलत दर्ज होने के कारण विरासत नामान्तकरण की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पा रही है। विरासत नामान्तकरण में कानूनी अडचन आ गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में प्रार्थी के पिता स्वर्गीय रामदेव एवं अप्रार्थी प्रभूलाल के वल्दियत में हो रही गलत प्रविष्टि को सही किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। उक्त गलत प्रविष्टि को सही करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्व अधिकारीयों से निवेदन किया, परन्तु अधिकारियों के द्वारा मना कर दिया गया तथा कानूनी आदेश लाने के लिये कहा है। उक्त त्रृटि को सही करने में कोई कानूनी बाधा नहीं है तथा राज्य सरकार अथवा अन्य सहखातेदारान कोई क्षति नहीं हो रही है। अप्रार्थी संख्या 1 से उक्त प्रविष्टि को सही करवाने में सहयोग करने के लिए निवेदन किया परन्तु मना कर देने के कारण अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थना पत्र की श्रवण अधिकारिता माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 व 3 में प्रार्थी के पिता रामदेव एवं अप्रार्थी संख्या प्रभूलाल के नाम वल्दीयत नाम दुरूस्त कर रामदेव आ0 रोड्या, रामदेव आ0 मोडू के स्थान पर रामदेव आ0 रोडू दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 को पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 12.09.2025 को जवाब बंद किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/ 1724 दिनांक :–11.06.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मरड्या के खाता संख्या 70 में प्रार्थी के दादा का नाम रोड्या व खाता संख्या 35 ग्राम गोपालपुरा में प्रार्थी के दादा का नाम मोडू दर्ज रिकॉर्ड है। मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान को उक्त खाता नम्बर में दर्ज प्रार्थी के दादा का नाम रोड्या व मोडू एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी के दादाजी के नाम रोड्या व मोडू के स्थान पर प्रार्थी के दादा जी का सही नाम रोडू दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के दादा का सही नाम रोडू है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत भारत निर्वाचन आंयोग पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व जमाबंदी खाता संख्या 20 ग्राम खेरखटा पेश किए है जिसमें प्रार्थी के दादा का नाम रोडू दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम मरड्या पटवार मण्डल खेरखटा के खाता संख्या 70 में दर्ज प्रार्थी के पिता/दादा के नाम रामदेव पुत्र रोड्या के स्थान प्रार्थी के पिता/दादा का सही नाम रामदेव पुत्र रोडू व खाता संख्या 35 ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल खेरखटा में दर्ज प्रार्थी के पिता/दादा के नाम रामदेव पुत्र मोडू के स्थान प्रार्थी के पिता/दादा का सही नाम रामदेव पुत्र रोडू शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 18.09.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

18/09/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)